न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं०–6/ विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट),
लखीमपुर–खीरी।
उपस्थित: अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–334/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–2358/2026
CNR UPLP01–005108–2026

छोटू उम्र 25 वर्ष पुत्र गोवर्धन निवासी लोनियन पुरवा थाना व जिला खीरी।
------ आवेदक/ अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य ---------- अभियोगी।

मु०अ०सं०–229/2026
अं०धारा–2(b)(i)/3 उ०प्र०गिरोहबंद एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)अधिनियम 1986
थाना–मैंगलगंज, जनपद–खीरी।

दिनांक 24–07–2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/ अभियुक्त छोटू की ओर से म०अ०सं०–229/2026 अं०धारा–2(b)(i)/3 उ०प्र०गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना–मैंगलगंज, जनपद–खीरी के मामले में प्रस्तुत किया गाया हैं। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र संलग्न है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है। अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी सत्र न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियुक्त ने अपने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त का उपरोक्त अपराध से कोई वास्ता व सरोकार नही है। तथा प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में झूठा फसाया गया है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी गैंग का लीडर नही है और न ही प्रार्थी के द्वारा ऐसा कभी भी ऐसा कृत्य नही किया गया है, जिससे समाज में भय व्याप्त है। प्रार्थी के द्वारा गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप संबधिकृत नही किया गया है और न ही प्रार्थी के द्वारा आपराधिक कृत्य करके आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु धनोपार्जन किया गया है। गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी किया कलाप निवारण के अधिनियम के अनुसार प्रार्थी पर उपरोक्त धाराओ का अपराध ही नही बनता है। जिस मुकदमें के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट में नामित करके कार्यवाही की गयी, उस मुकदमें में प्रार्थी नामजद नहीं और न ही प्रार्थी के पास से लूट से सम्बन्धित कोई गहना इत्यादि की बरामदगी हुई है। गैगेस्टर चार्ट मे जो प्रार्थी पर मुकदमा लिखाया गया है, उस मुकदमें में प्रार्थी को दिनाक 11–8–25 को श्रीमान अपर वाह्य न्यायालय मोहम्मदी द्वारा जमानत स्वीकृत की जा चुकी है। गैंगस्टर चार्ट में वर्णित मुकदमें के लगभग 1 वर्ष बाद गैगेस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नही है कि गैगेस्टर चार्ट का अनुमोदन श्रीमान जिलाधिकारी खीरी के द्वारा मुकदमा पंजीकृत न होने के पूर्व में अथवा बाद में अनुमोदन कराया गया है। इस बात का प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई स्पष्ट उल्लेख नही है जिससे यह साबित होता है कि मुकदमा फर्जी एव बनावटी है। जिस मुकदमें के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध गैगेस्टर की कार्यवाही की गयी है, उस मुकदमें में प्रार्थी का नाम सह अभियुक्तो के बयानो में आया है। गैगेस्टर चार्ट में उल्लेखित मुकदमें के अलावा प्रार्थी के विरूद्ध कोई भी अन्य मुकदमा पंजीकृत नही है। प्रार्थी कभी भी आराजक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगो के साथ प्रार्थी की संगत नही है और न ही प्रार्थी कभी गिरोह बन्द सदस्यो का सदस्य रहा है। थाना मैगलगंज की पुलिस फर्जी तरीके से मुकदमा लिखकर प्रार्थी को गिरफतार करके जेल भेजना चाहती है जिसके लिए घर पर बराबर छापेमारी कर रही है। प्रार्थी/ अभियुक्त अपना अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है अगर प्रार्थी को अग्रिम जमानत न्यायालय श्रीमानजी द्वारा स्वीकार की जाती है, तो प्रार्थी/ अभियुक्त अपनी अग्रिम जमानत सुविधा का दुरूपयोग नही करेगा

न्यायालय श्रीमानजी के दिये गये निर्देशो का पालन करेगा। अतः प्रार्थी/ अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजन (गैंगेस्टर एक्ट) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 03.06.2026 को प्र०नि० संजीव कुमार सिंह मय हमराह हे०का० रामनयन सिंह, हे०का० देवेन्द्र सिंह यादव मय जीप सरकारी नं० UP31G0582 वै० चालक का० देवेन्द्र सिसौदिया के देख भाल शान्ति व्यवस्था थाना क्षेत्र में मामूर था कि जनता द्वारा अवगत कराया गया कि गैंगलीडर पंकज का सुसंगठित सक्रिय गिरोह है। इस गिरोह का अंशु तिवारी, रंजीत व छोटू सक्रिय सदस्य है। यह गिरोह समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त होकर लूट जैसे गम्भीर अपराधो में संलिप्त है। लूट से अपने व अपने साथियों के लिए आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु धनोपार्जन करते है। इस गिरोह के बारे में जानकारी की गयी, तो अभियुक्तों के विरूद्ध मु०अ०सं० 175/2025 अभियुक्त पंकज उपरोक्त के विरूद्ध धारा–309 (6)/317 (2) बी०एन०एस०, अंशु तिवारी, रंजीत उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–309(6) बी०एन०एस०, छोटू उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 309 (4)/317(2)/3(5) बी०एन०एस० थाना मैगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी पंजीकृत है। इस गिरोह का संचालन गैंग लीडर पंकज करता है। इस गैंग का गैगंचार्ट जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इस गिरोह के विरूध्द थाना स्थानीय पर उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत है। इस गिरोह द्वारा किया गया कृत्य धारा 2(B)(i)/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2015 की परिधि में आता है। अभियुक्तो के विरूध्द गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के प्रथम दृष्टया विधिक आधार विद्यमान है। इस गिरोह का स्वच्छन्द रहना जनहित में उचित नहीं है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजन (गैंगेस्टर एक्ट) के तर्कों को सुना तथा सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त छोटू गैंग का सदस्य है। गैंग चार्ट तथा अभियोजन कथानक के अनुसार उक्त गैंग समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त होकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु चोरी व लूट जैसे जघन्य अपराध कारित करता हैं। गिरोह की सक्रियता जनपदीय है। अभियुक्त पर लगाया गया आरोप 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना से दण्डनीय अपराध है। यह मामला विशेष अधिनियम से संबंधित है। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। यदि आवेदक/ अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में अपराध की प्रकृति, गम्भीरता व उसमें प्रार्थी/ अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त छोटू द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–334/2026, मु०अ०सं०–229/2026, अं० धारा–2(b)(i)/3 उ०प्र०गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना–मैंगलगंज, जिला–लखीमपुर खीरी निरस्त किया जाता है।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–6,
लखीमपुर–खीरी।
JO CODE–UP1561

दिनांक: 24–07–2026

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.24 17:17:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court